

इंटरपोल के नोटिस

स्रोत: द हट्टि

हाल ही में [इंटरपोल की नोटिस प्रणाली](#) के दुरुपयोग, वशिष रूप से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के बारे में चर्चाएँ व्यक्त की गई हैं, जिनकीरेड कॉर्नर नोटिस की तुलना में कम जाँच की जाती है।

- पछिले दस वर्षों में नीले नोटिसों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है।
- आलोचकों ने तर्क दिया है कि देश अक्सर राजनीतिक शरणार्थियों और असंतुष्टों को लक्ष्य करने के लिये मौजूदा प्रोटोकॉल का फायदा उठाते हैं।





इंटरपोल

परिचय

- ♦ **आधिकारिक नाम:** अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (International Criminal Police Organization-ICPO: INTERPOL)
- ♦ **स्थापना:** वर्ष 1923
- ♦ **सदस्य राज्य:** 195
 - ➔ भारत वर्ष 1956 से इसका सदस्य है।
- ♦ **मुख्यालय:** लियॉन, फ्रांस
- ♦ यह एक **अंतर-सरकारी संगठन** है।

उद्देश्य

- ♦ यह विभिन्न पुलिस बलों से प्राप्त सूचनाओं के संग्रह और प्रसार के माध्यम से दुनिया भर में पुलिस बलों की आपराधिक जाँच की सुविधा प्रदान करता है।
 - ➔ इसके पास गिरफ्तारी जैसी कानून प्रवर्तन शक्तियाँ नहीं हैं।

संरचना

- ♦ **अध्यक्ष** (इंटरपोल का प्रमुख) - 4 वर्ष के लिये चुना जाता है।
- ♦ **महासचिव** (दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की देखरेख करता है) - 5 वर्ष के लिये चुना जाता है।
- ♦ **विशेष निदेशालय** - साइबर अपराध, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, वित्तीय अपराध, पर्यावरण अपराध, मानव तस्करी आदि जैसे विशिष्ट मुद्दों से संबंधित है।
- ♦ **महासभा:** सर्वोच्च शासी निकाय (वर्ष में एक बार बैठक)।
 - ➔ भारत ने वर्ष 2022 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी की।

इंटरपोल के नोटिस

- ♦ इंटरपोल द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने में सहयोग या अलर्ट (Alert) के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होता है।

इंटरपोल नेशनल सेंटरल ब्यूरो (NCB)

- ♦ NCB, इंटरपोल के लिये नामित संपर्क बिंदु होते हैं।
- ♦ भारत का इंटरपोल NCB - **केंद्रीय अन्वेषण जाँच ब्यूरो (CBI)**



//

इंटरपोल नोटिस सिस्टम क्या है?

परिचय:

- इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिये राष्ट्रीय पुलिस बलों के लिये एक महत्वपूर्ण सूचना-साझाकरण नेटवर्क के रूप में

कार्य करता है।

- इंटरपोल (सामान्य सचिवालय) लापता या वांछित व्यक्तियों के लिये सदस्य राज्यों को नोटिस जारी करता है, जिसका पालन करना राज्यों हेतु अनिवार्य नहीं है, लेकिन अक्सर गरिफ्तारी और प्रत्यर्पण के लिये वारंट के रूप में माना जाता है।

■ अनुरोधकर्त्ता प्राधिकारी: नोटिस नमिनलखिति के अनुरोध पर जारी किये जाते हैं:

- एक सदस्य देश का इंटरपोल नेशनल सेंटरल ब्यूरो
- अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरणों तथा अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अनुरोध पर उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर अपराध, विशेष रूप से **नरसंहार, युद्ध अपराध एवं मानवता के विरुद्ध अपराध** करने के लिये वांछित व्यक्तियों की खोज करना।
- **संयुक्त राष्ट्र** के अनुरोध पर **सुरक्षा परिषद** के प्रतर्बिधों को लागू करने के संबंध में।

■ नोटिस के प्रकार:



इंटरपोल नोटिस के दुरुपयोग के बारे में क्या चिंताएँ हैं?

■ ब्लू नोटिस बनाम रेड नोटिस:

- **ब्लू नोटिस:** "पूछताछ नोटिस" के रूप में संदर्भित, सदस्य राज्यों में पुलिस बलों को अन्य वविरणों के साथ-साथ किसी व्यक्तिके आपराधिक रिकॉर्ड एवं स्थान की पुष्टि करने सहित महत्त्वपूर्ण अपराध-संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
 - ब्लू कॉर्नर नोटिस आपराधिक आरोप दायर करने से पहले जारी किये जाते हैं।
- **रेड नोटिस:** किसी वांछित अपराधी को प्रत्यर्पण या अन्य कानूनी तरीकों से गरिफ्तार के लिये किसी सदस्य राज्य द्वारा जारी किया जाता है, गरिफ्तारी वारंट या न्यायालय के नरिणय के बाद अभियोजन अथवा सज़ा देने के लिये राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा मांगे गए व्यक्तियों को लक्षित किया जाता है।
 - इंटरपोल किसी भी देश के अनुरोध पर कार्रवाई कर सकता है, भले ही वह भगोड़े का स्वदेश हो, जब तक ककित्यति अपराध वहाँ हुआ हो।
 - वचिराधीन व्यक्तिको सदस्य राज्य से गुजरते समय हरिसत में लयिा जा सकता है और गरिफ्तार कयिा जा सकता है, जसिके अतरिकित प्रतकिल परणिा हो सकते हैं, जसिमें बैंक खतों को फ्रीज़ करना भी शामिल है।
 - इंटरपोल के पास किसी भी देश में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रेड कॉर्नर नोटिस द्वारा लक्षित व्यक्तिको पकड़ने के लिये बाध्य करने का अधिकार नहीं है, क्योकिएसा करने का नरिणय पूरी तरह से उनके वविक पर है।

■ रेड नोटिस को लेकर वविवद: हालाँक इंटरपोल का संवधान राजनीतिक चरतिर की किसी भी गतविविधिको स्पष्ट रूप से प्रतर्बिधति करता है, लेकिन कार्यकर्त्ताओं ने उस पर इस नयिम को लागू करने में वविल रहने का आरोप लगाया है। उदाहरण के लयिे:

- रूस प्राय: क्रेमलिन वरिधियों की गरिफ्तारी के लिये नोटिस और प्रसार जारी करता है, जो अमेरिकी अधिकार संगठन फ्रीडम हाउस के अनुसार सभी सार्वजनिक रेड नोटिस में 38% का योगदान देता है।
- अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों ने चीन, ईरान, तुर्की और ट्यूनीशिया सहित अन्य देशों पर सत्तावादी उद्देश्यों के लिये एजेंसी की नोटिस प्रणाली का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।

- इंटरपोल ने गुरपतवंत सहे पनून के वरिद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के भारत के दूसरे अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जसि **UAPA** के तहत गृह मंत्रालय द्वारा "आतंकवादी" के रूप में नामति कथिा गया था। इंटरपोल ने नोटिस जारी करने के संबंध में अपर्याप्त जानकारी का हवाला देते हुए और इस बात पर प्रकाश डाला उसके कृत्यों में "**स्पष्ट राजनीतिक आयाम**" है जो इंटरपोल के संवधान के अधीन रेड कॉर्नर नोटिस के दायरे से परे है।
- **इंटरपोल का रुख:** बढ़ती आलोचना के मद्देनजर इंटरपोल ने अपने रेड नोटिस प्रणाली में सुधार कथिा है कतिु बलू नोटिस जारी करने के संबंध में चतिाएँ बरकरार हैं।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/notices-of-interpol>

